

राजस्थान सरकार
जरिहे पटवारी हल्का २१३२१
मुकदमा नं. १५ / २०१८

वाक श्रीमती कमला देवी
पति नमन श्री, राजगौर
जाति राजगौर नि. राजगौर
राज भू. राजस्थान अधिनियम, १९५६ की धारा ९१
निर्णय दिनांक २५/९/१८

प्रकरण का संक्षिप्त में सार निम्नवत है कि ग्राम श्रीलक्ष्मी खसरा नम्बर ४०८, ३३६
५५३, ३२३ रकबा ८.९१ हेक्टर विराम ३/१३.११ (राजकीय भूमि) पर संवत् २०१५ में श्री कमला देवी
पति नमन श्री, राजगौर जाति राजगौर निवासी राजगौर (जिस
आगे अप्रार्थी कहा गया है) द्वारा श्री. राजगौर कर अतिक्रमण किये जाने पर पटवारी हल्का
अन्तर्गत अप्रार्थी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत की।

पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण
दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को राज. भू.-राजस्थान अधिनियम की धारा ९१ के अन्तर्गत नोटिस जारी कर तलब किया
गया। तलबी पर अप्रार्थी श्री नोटिस स्वयं से पति से दायित्व उन्नीश किये
किसल है, अप्रार्थी को आरजे पर पति स्वयं
उपस्थित होकर इसी प्रकार का जवाब देवा पटवारी
पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का द्वारा ग्राम श्रीलक्ष्मी
४०८, ३३६ ख. ५५३, ३२३ रकबा ८.९१ हेक्टर श्री. राजगौर पर संवत् २०१५ में विना विधिक
अधिकार के अनाधिकृत नाजायज रूप से राजकीय भूमि पर श्री. राजगौर कर अतिक्रमण किये
जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है। श्री. राजगौर

अतः प्रकरण में आदेश दिये जाते हैं कि :-

- (1) अतिक्रमी को आरजी राज से वेदखत किया जाकर कब्जा वहक सरकार लिया जावे।
- (2) लगान दर रुपया ६५ प्रति हेक्टर का ५० गुणा रुपया २६७० रु. (रुपये २६७० रु.) शास्ति
कायम की जाती है। वे आरजे से तलब रुपये

नियंत्रण की
कियान्विती हेतु पटवारी हल्का राजगौर नि. राजगौर भु. अभिलेख निरीक्षक
राजगौर एवं तहसील राजस्व लेखाकार की पालनार्थ आदेश जारी किये जाये।

पत्रावली निर्णित शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दपतर हो।

निर्णय आज दिनांक २५/९/१८ का सरे इजलास सुनाया।

भव

नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)

पत्रिका नं. २०१८-१९ के मुकद. ५५
पर २६७०/ का ५० की
नियंत्रण की है।

राजगौर
राजस्व लेखाकार